राजस्थान सरकार

स्वायत शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांकः प.10(क)(चुनाव)(   )/स्वा0शा0वि/16/1386   दिनांकः 10/5/18

अधिसूचना

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 3 सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए समसंख्यक विभागीय अधिसचूना कमांक 4172 दिनांक 02/06/16 व कमांक 493 दिनांक 02/08/17 की निरन्तरता में व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका, महवा की वर्तमान सीमा क्षेत्र में से ग्राम पंचायत ठेकडा, रामगढ, शहदपुर के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को एतद्द्वारा पृथक किया जाकर राजस्व ग्राम महवा (सम्पूर्ण) सीमा क्षेत्र को नगर पालिका महवा के रूप में घोषित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः प.10(क)(चुनाव)(   )/स्वा0शा0वि/16/1387-1440   दिनांकः 10/5/18

प्रतिलिपि सू..नार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग/पंचायत राज विभाग, राज.जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत शासन विभाग, राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, राज्य वित्त आयोग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
8. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर ।
9. निदेशक, जनगणना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान, जयपुर।
12. जिला कलक्टर, दौसा को भेजकर निवेदन है कि इस अधिसूचना के अनुरूप नगर पालिका महवा की सीमा क्षेत्र का चतुर्थ सीमा विवरण मय नक्शा ब्लूयप्रिन्ट तीन प्रतियो में भिजवाने का श्रम करावे।
13. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज., जयपुर को भेजकर लेख है कि राज. राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन कराया जाकर विभाग को 50 प्रति भिजवाने का श्रम करें ।
14. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय।
15. उपनिदेशक (क्षेत्रीय)स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान, जयपुर।
16. अधिशाषी अधिकारी,नगरपालिका, महवा ।
17. सरपंच /सचिव, ग्राम पंचायत ठेकडा, रामगढ व शहदपुर ।
18. नोडल अधिकारी, वेबसाईड, निदेशालय को वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
19. सुरक्षित पत्रावली ।

(290)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी